महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम/NIPI/2016/13120 भोपाल, दिनांक 02-01-17

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्यप्रदेश
5. समस्त जिला सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

विषयः— 10 फरवरी 2017 को 1 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमिनाशन हेतु प्रदेश में "राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस" के आयोजन के संबंध में।

****

विषयांतर्गत लेख है कि बच्चों में कृमि संक्रमण, व्यक्तिगत अस्वच्छता तथा दूषित मिट्टी के संपर्क से संभावित होता हैं। कृमि संक्रमण से बच्चों की जहां एक ओर शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बाधित होती है वही दूसरी ओर उनके पोषण स्तर एवं हिमोग्लोबिन स्तर पर भी दूष्प्रभाव पड़ता हैं। अतः 1 सें 19 वर्षीय बच्चों का कृमिनाशन करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक साक्ष्य आधारित रणनीति है। **भारत सरकार के निर्देशानुरूप समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में एक साथ दिनांक 10 फरवरी 2017 को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस (National Deworming Day–NDD-2017) एवं दिनांक 15 फरवरी 2017 को मॉप–अप दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं, प्राइवेट/प्राइवेट अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्रशासित शालाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1 सें 19 वर्षीय समस्त बच्चों का कृमिनाशन किया जाना है।** राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस पर हितग्राही समूह के समस्त बच्चों को एल्बेण्डाजोल की चबाने वाली मीठी गोली की प्रदायगी की जायेगी ताकि मिट्टी जनित कृमि संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित हो। **"राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस" के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है एवं कार्यक्रम का निष्पादन स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग व एकीकृत बाल विकास सेवायें द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा** जिसमें डोनर पार्टनर संस्था – एविडेन्स एक्शन, यूनिसेफ तथा माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव सहयोगी एजेन्सी रहेंगे।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस – 2017 में निम्न नवीन गतिविधियां की जाना है :–

1. **समस्त प्रायवेट/प्रायवेट अनुदान प्राप्त तथा केन्द्र शासित शालाओं को राष्ट्रीय कृमिनाशन गतिविधि में सम्मिलित करना।**
2. **राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस की रिपोर्टिंग विकासखण्ड स्तर से एन.डी.डी. एप में प्रतिवेदित करना।**
3. **समस्त प्रतिकूल घटनाओं की जानकारी राष्ट्रीय फार्माकोविजलेन्स कार्यक्रम के टोल फ्री नम्बर 1800 180 3024 पर प्रतिवेदित करना।**
4. **लिम्फेटिक फाईलेरिया के उन्मूलन के लिये मास ड्रग एडमिनिसट्रेशन हेतु चयनित 07 जिले यथा छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, उमरिया तथा रीवा में 1–19 वर्षीय बच्चों को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के दिन ही कृमिनाशक गोली एल्बेण्डाजोल की प्रदायगी सुनिश्चित करना।**
5. **आयोजन दिवस के आगामी दिन प्रातः 11:00 बजे तक एस.एम.एस के माध्यम से राज्य स्तर पर आच्छादन एवं प्रतिकूल घटनाओं का प्रतिवेदन करना।**

निर्देशित किया जाता है कि :–

- **राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस तथा मॉप–अप दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, प्रायवेट/प्रायवेट अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्र शासित शालाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में क्रमशः दिनांक 10 फरवरी 2017 एवं 15 फरवरी 2017 को किया जाये।**
- इस हेतु **जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाये जिसमें स्वास्थ्य विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवायें, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, डोनर पार्टनर प्रतिनिधि, प्राइवेट स्कूल एशोसिएशन के प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य, प्रमुख जनप्रतिनिधि तथा जिला जनसंपर्क अधिकारियों का प्रतिनिधत्व हो।**
- उपरोक्त समिति द्वारा राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के क्रियान्वयन संबंधी समस्त मुद्दों यथा प्रचार–प्रसार व रिपोर्टिंग सामग्री का मुद्रण–वितरण, औषधियों की आवश्यकता, प्रतिकूल घटनाओं का प्रतिवेदन व व्यवस्थापन आदि पर विचार किया जाये एवं सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार की जाये।
- राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का समारोहपूर्वक शुभारंभ जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2017 को सुनिश्चित की जाये।

- **दिनांक 10 फरवरी 2017 को 1 से 2 वर्षीय समस्त बच्चों को एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा. की आधी गोली चूरा करके तथा 2 से 19 वर्षीय सभी बच्चों को 1 गोली शालाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिक्षकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निगरानी में खिलाई जाए। छुटे हुय बच्चों को दिनांक 15 फरवरी 2017 को आयोजित मॉप–अप दिवस पर कृमिनाशन का लाभ दिया जाये।**
- **राज्य स्तर पर वर्ष 2017 हेतु लक्षित 1–19 वर्षीय हितग्राहियों की संख्या (Denominator), शिक्षा विभाग के U-DISE एवं महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। (अनुलग्नक–अ) अतः कवरेज रिपोर्ट में निर्धारित Denominator के आधार पर ही आच्छादन का आंकलन किया जाये। किसी भी परिस्थिति में जिलों द्वारा Denominator में बदलाव करने की छूट नहीं है।**
- कृमि संक्रमण की अधिकता वाले बच्चों में अल्प प्रतिकूल लक्षण जैसे उल्टी, मथली, घबड़ाहट, चक्कर आना, थकान जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते है जो कि स्वाभाविक है। यह लक्षण क्षणिक एवं स्व–सिमित होते है जिसकी जानकारी समस्त शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पालकों एवं मिडीया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन पूर्व ही दी जाये। **(प्रेस नोट प्रारूप संलग्न)**
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिकूल घटनाओं के प्रबंधन हेतु मूलभूत औषधियों की उपलब्धता प्रत्येक केन्द्र पर सुनिश्चित की जाये एवं गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के मानक प्रबंधन हेतु संपर्क नम्बर की उपलब्धता तथा निःशुल्क आपात परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- किसी भी संस्था में होने वाली प्रतिकूल घटना की जानकारी Pharmacovigilance Program of India (PVPI) के अंतर्गत संचालित टोल फ्री नम्बर **1800 180 3024** पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:30 बजे के बीच प्रतिवेदित की जाये।
- विभिन्न विभागों के समन्वय से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस–2017 में विभिन्न विभागों की निम्नानुसार भूमिका होगी :–

स्वास्थ्य विभाग	**शिक्षा विभाग/ आदिम जाति कल्याण विभाग**	**महिला बाल विकास विभाग**
1. जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन एवं बैठक का आयोजन। 2. आवश्यक मात्रा में एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा मीठी गोली, शासकीय शालाओं/आदिवासी आश्रम शालाओं, प्राइवेट/प्राइवेट अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्रशासित शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पहुँचाना। 3. समन्वित विभागों के कर्मचारियों का समय–सीमा में अर्द्ध दिवसीय प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। 4. प्रचार–प्रसार सामग्री एवं रिर्पोटिंग प्रपत्रों का मुद्रण एवं वितरण। (शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु हेण्ड आउट सह रिपोर्टिंग प्रपत्र का राज्य स्तर पर मुद्रण) 5. प्रशिक्षण में संस्थावार एन.डी.डी. कीट का वितरण। एन.डी.डी. कीट में निम्न 7 सामग्रियां होगी :– (i) एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा. की चबाने वाली मीठी गोली (ii) प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु मूलभूत औषधियां (iii) संपर्क अधिकारियों का मोबाईल नम्बर सूची, 108 (iv) फ्लेक्स/ बैनर (1 प्रति संस्था)* (v) शालाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु एक पोस्टर प्रति संस्था * (vi) शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु रिर्पोटिंग प्रपत्र युक्त हेन्डआउट * (vii) आशा हेतु पेम्पलेट	1. जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करना । 2. कक्षाओं में इंद्राज बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना ताकि तदानुसार आवश्यक औषधियों की व्यवस्थापन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा सके। 3. अधीनस्थ शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु नामांकन एवं प्रशिक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना। 4. प्रायवेट तथा केन्द्रीय शालाओं की भागीदारी उक्त कार्यक्रम में सुनिश्चित करना। 5. एन.डी.डी. 2017 हेतु प्रदायित प्रसार सामग्री का यथोचित प्रदर्शन । 6. कक्षा 1 से 12वी के शासकीय शिक्षकों के माध्यम से पंजीकृत समस्त बच्चों को एल्बेण्डाजोल गोली की निगरानीबद्ध प्रदायगी। 7. एन.डी.डी. दिवस तथा मॉप–अप दिवस के दिन अधिकाधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। 8. गोली के सेवन उपरांत बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। 9. छोटे बच्चों को मीठी गोली के प्रदायगी के समय गोली को चम्मच से चूरा करने पर विशेष ध्यान देना। 10. राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के संबंध में पालकों को पूर्व सूचना देना। 11. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदायित निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के संपर्क न. का शाला में प्रमुखता से प्रदर्शन।	1. जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करना । 2. आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों की संख्या एवं शाला अप्रवेशी/शाला त्यागी बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना ताकि तदानुसार आवश्यक औषधियों की व्यवस्थापन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा सके। 3. अधीनस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हेतु नामांकन एवं प्रशिक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना। 4. एन.डी.डी. 2017 हेतु प्रदायित प्रसार सामग्री का प्रदर्शन । 5. 1 से 2 वर्षीय बच्चों को एल्बेण्डाजोल की आधी गोली तथा 2 से 5 वर्षीय बच्चों को पूरी गोली चम्मच से चूरा करके बच्चों को समक्ष में खिलाना। 6. 5 से 19 वर्षीय समस्त शाला अप्रवेशी/शाला त्यागी बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्र में एकत्रिकरण करना एवं एल्बेण्डाजोल गोली का सेवन सुनिश्चित करना। 7. गोली के सेवन उपरांत बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। 8. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 9. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदायित निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के संपर्क न. का शाला में प्रमुखता से प्रदर्शन। 10. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर

6. एन.डी.डी के दौरान किसी भी प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना। 7. प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के संपर्क न. का समन्वित विभागों से सांझा करना। 8. निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एन.डी.डी. एप में इन्द्राज करना। 9. कार्यक्रम की सशक्त निगरानी, रिर्पोट संकलन एवं सुधारात्मक विश्लेषण।	12. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 13. हितग्राही बच्चों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट स्वास्थ्य विभाग से निर्धारित समयावधी में सांझा करना। 14. कार्यक्रम की सशक्त निगरानी, रिर्पोट संकलन (कागजी एवं एन.डी.डी. एप) एवं सुधारात्मक विश्लेषण।	गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 11. हितग्राही बच्चों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट स्वास्थ्य विभाग से निर्धारित समयावधी में सांझा करना। 12. कार्यक्रम की सशक्त निगरानी, रिर्पोट संकलन (कागजी एवं एन.डी.डी. एप) एवं सुधारात्मक विश्लेषण।

**नोट– एक ही प्रांगण में संचालित भिन्न डाईस कोड युक्त शालाओं को पृथक संस्था मानते हुये तदानुसार पोस्टर, फ्लेक्स–बैनर तथा रिपोर्टिंग प्रपत्र का वितरण नियोजित किया जाये।*

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस –2017 के सफल आयोजन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि समस्त हितग्राही 1–19 वर्षीय बच्चों को कृमिनाशन का लाभ दिया जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

व्ही. किरण गोपाल मिशन संचालक एन.एच.एम म.प्र.	नीरज दुबे आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र	पुष्पलता सिंह आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवाएं म.प्र.	दीपाली रस्तोगी आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.	दीप्ती गौड़ मुखर्जी आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम/NIPI/2015/ 1321 भोपाल, दिनांक /12/2015 02-01-17

प्रतिलिपि– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, एकीकृत बाल विकास सेवायें, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एविडेंस एक्शन–डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि अपने क्षेत्रीय तथा जिला समन्वयकों के माध्यम से शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करें।
11. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, भोपाल।
12. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, एम.आई., मध्यप्रदेश।
13. समस्त, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त, संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
15. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक एन.एच.एम म.प्र.	आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र	आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवाएं, म.प्र.	आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.	आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र

District Wise Denominator (अनुलग्नक - अ)

S. No.	Name of District	1-5 years Children	5 to 10 Years Children	10 to 19 years Adolescent	6 to 19 years Adolescent	Total
		Registered + Unregistered	Total	Total	Private + Centrally Affiliated	
1	Bhopal	158642	71239	62583	288964	581428
2	Betul	104698	83652	122939	55747	367036
3	Harda	56322	29224	35753	36293	157592
4	Hoshangabad	96930	48866	66404	120135	332335
5	Raisen	140154	78777	85717	80383	385031
6	Rajgarh	180793	83107	103537	107922	475359
7	Sehore	138888	58381	74475	98331	370075
8	Vidisha	115090	104838	101550	80581	402059
9	Alirajpur	90341	86159	52191	13497	242188
10	Barwani	142725	105530	76733	45205	370193
11	Burhanpur	36842	45956	44194	38435	165427
12	Dhar	185061	147078	147229	129178	608546
13	Indore	105435	70548	86178	481243	743404
14	Jhabua	109999	130673	68025	40124	348821
15	Khandwa	120705	102423	93824	58420	375372
16	Khargone	110897	119200	111329	100990	442416
17	Dewas	139045	63957	84299	121700	409001
18	Mandsaur	94150	48102	68941	101743	312936
19	Neemuch	45206	33348	43230	57777	179561
20	Ratlam	118516	88923	83861	93352	384652
21	Shajapur	63341	32094	50684	82196	228315
22	Agar_Malwa	60828	34211	33620	42417	171076
23	Ujjain	141721	81307	78137	174014	475179
24	Balaghat	188563	84949	128683	68165	470360
25	Chhindwara	183771	101865	163028	93085	541749
26	Dindori	68946	64417	67974	17613	218950
27	Jabalpur	233384	80938	104926	175218	594466
28	Katni	116219	84803	101341	68376	370739
29	Mandla	154326	75740	102074	30053	362193
30	Narsinghpur	84590	45896	71391	62668	264545
31	Seoni	108395	75130	106991	52161	342677
32	Anuppur	87655	42050	54240	29615	213560
33	Rewa	206910	131215	138907	163673	640705
34	Satna	179106	122134	145458	145392	592090
35	Shahdol	73241	69110	82548	40616	265515

S. No.	Name of District	1-5 years Children	5 to 10 Years Children	10 to 19 years Adolescent	6 to 19 years Adolescent	Total
		Registered + Unregistered	Total	Total	Private + Centrally Affiliated	
36	Sidhi	117360	82596	91699	60386	352041
37	Singrouli	132434	100511	103311	60283	396539
38	Umaria	71252	48542	62166	22909	204869
39	Chhatarpur	186595	139866	129685	97747	553893
40	Damoh	96711	87329	101876	55746	341662
41	Panna	107035	78374	84075	53764	323248
42	Sagar	132364	124482	181716	146079	584641
43	Tikamgarh	142442	128504	130826	61071	462843
44	Ashok Nagar	92398	75274	68940	44572	281184
45	Bhind	142758	87788	87572	152050	470168
46	Datia	67789	47166	50285	37602	202842
47	Guna	122262	102612	87925	78273	391072
48	Gwalior	209254	77493	79719	215743	582209
49	Morena	187433	123500	103107	127634	541674
50	Sheopur	53844	52516	53122	25502	184984
51	Shivpuri	144932	160941	133596	81388	520857
Grand Total		**6248300**	**4243334**	**4592614**	**4716031**	**19800279**

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस–2017, प्रेस नोट प्रारूप

10 फरवरी 2017 को होगा "राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस" का आयोजन
मुहिम चलाकर दी जायेगी लगभग 1.98 करोड़ बालक–बालिकाओं को कृमिनाशन दवायें

कृमि/पटार संक्रमण से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरूद्ध होता है एवं शालेय बच्चों में उपस्थिति एवं शैक्षणिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 1 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमि संक्रमण की रोकथाम एक साक्ष्य आधारित रणनीति है जिसके तहत 1 गोली मात्र को चबाकर सेवन करने से हम बच्चों को कृमिमुक्त कर सकते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 10 फरवरी, 2017 को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस आयोजित कर अभियान के रूप में बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलवाई जायेगी। कार्यक्रम के व्यापक क्रियान्वयन हेतु 51 जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं एकीकृत बाल विकास सेवायें विभाग द्वारा संयुक्त रूप से समन्वय में कार्य किया जा रहा है।

इस दिन प्रदेश शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी छात्रावासो एवं आश्रम शालाओं, प्राइवेट/प्राइवेट अनुदान प्राप्त व केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों का कृमिनाशन किया जायेगा। कुल 82,764 प्राइमरी, 37,800 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं, 27,102 प्राइवेट शालाओं, 166 केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय व सैनिक स्कूल तथा 92,230 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1 से 19 वर्षीय लगभग 1.98 करोड़ बच्चों को कृमिनाशन हेतु एल्बेण्डाजोल गोली की प्रदायगी की जाएगी।

यह साक्ष्य आधारित है कि कृमिनाशन से बच्चो की अनुपस्थिति में 25 प्रतिशत कमी आती है एवं उनकी पढाई में एकाग्रता भी बढती है। कृमिनाशन से संपूर्ण स्वास्थ्य–पोषण स्तर, एनीमिया की रोकथाम, बौद्धिक विकास तथा शालाओं में उपस्थिति में सुधार देखा गया है।

समूचे प्रदेश में एक निश्चित दिवस 10 फरवरी 2017 को 1 से 19 वर्षीय बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं शालाओं के माध्यम से कृमिनाशन किया जायेगा एवं छुटे हुये बच्चों का मॉपअप दिवस 15 फरवरी 2017 पर कृमिनाशन किया जायेगा। **1 से 2 वर्षीय बच्चों को एल्बेण्डाजोल की आधी गोली चूरा करके (200 मि.ग्रा) तथा 2 से 19 वर्षीय बच्चों को एल्बेण्डाजोल की 1 गोली (400 मि.ग्रा) का चबाकर सेवन, शिक्षकों/आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की निगरानी में कराया जायेगा।**

बच्चों में कृमिनाशन गोली के साईड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। **कृमि संक्रमण की अधिकता के कारण कुछ मामूली दुष्प्रभाव जैसे– चक्कर आना, जी मचलाना, सरदर्द, उल्टी, दस्त, थकान जैसा अनुभव होने की संभावना हो सकती है। यह लक्षण क्षणिक एवं स्व–सीमित होते है जो कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं। यह इस बात का द्यौतक है कि अत्याधिक कृमि संक्रमण से ग्रस्त बच्चे में कृमिनाशक औषधि के असर से कृमियों पर प्रभाव हो रहा है। मृत कृमियों से निकलने वाले टॉक्सिन्स के कारण बच्चों में प्रायः यह लक्षण उत्पन्न होते है।** स्कूलों एवं आंगनवाडी केन्द्रों में "राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस" पर एल्बेण्डाजोल सस्पेंशन/गोली, ओ.आर.एस. पैकेट, डोमपेरिडॉन टेबलेट, डाईसाइक्लोमिन टेबलेट/सस्पेन्शन, पैरासिटामोल टेबलेट/सस्पेन्शन तथा सी.पी.एम. टेबलेट/सेट्रिजिन टेबलेट की व्यवस्था मामूली प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु उपलब्ध रहेगी तथा गंभीर प्रतिकूल लक्षण होने पर निःशुल्क परिवहन व्यवस्था–108 वाहन की व्यवस्था होगी जिससे पीड़ित को तत्काल चिकित्सीय उपचार प्रदान किया जा सके।